

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3( )लेखा/संस्था/विधि/2017-13/8650-53 दिनांक : 26/02/18

संयुक्त निदेशक,  
कृषि (विस्तार),  
जालौर।

विषय : अधीनस्थ कार्यालयों के कार्मिकों का राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में वेतन निर्धारण बाबत।

संदर्भ : आपका पत्रांक प.2( )संस्था/सं.नि.कृ/2017-18/1820  
दिनांक 26.12.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके कार्यालय में सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1 का पद रिक्त होने के कारण आपके एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों के कार्मिकों के वेतन निर्धारण हेतु कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार), उदयपुर में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-प्रथम को अधिकृत किया जाता है।

(ऋतु गुप्ता)

वित्तीय सलाहकार, कृषि

क्रमांक : प.3( )लेखा/संस्था/विधि/2017-18/8650-53 दिनांक : 26/02/18

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार), उदयपुर।
2. सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-प्रथम, कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार), उदयपुर
3. एसीपी, मुख्यालय जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ऋतु गुप्ता)

वित्तीय सलाहकार, कृषि